न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2024 G.C.M.S. No. 2024/38 दर्ज दिनांक : 11.01.2024

अपीलार्थी:

1. बाबू खां वल्द हकीम खां, उम्र 72 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी 157, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली, तहसील व जिला पाली।
2. मुन्नी उर्फ मुमताज बानो पुत्री घीसू खां, पत्नि फकीर मोहम्मद, उम्र 36 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी बिचला बास, बलुण्दा, तहसील जैतारण, वर्तमान जिला ब्यावर।
3. मैना पुत्री घीसू खां, पत्नि सुल्तान खां, उम्र 60 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी बसी का बास, भटिण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।
4. शफी मोहम्मद वल्द हकीम खां, उम्र 51 वर्ष
5. सतार खां वल्द हकीम खां, उम्र 53 वर्ष
6. सदीक खां वल्द हकीम खां, उम्र 60 वर्ष, जातिगण मुसलमान, निवासीगण 348, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली, तहसील व जिला पाली।
7. मृत सुबान खां वल्द हकीम खां के कायम मुकामः–
   7/1 ईरफान खां पुत्र सुबान खां, उम्र नाबालिग 17 वर्ष
   7/2 जावेद पुत्र सुबान खां, उम्र नाबालिग 8 वर्ष
   7/3 खुशी पुत्री सुबान खां, उम्र नाबालिग 12 वर्ष
   7/4 सेनाद उर्फ शहनाज बानो पत्नि सुबान खां, उम्र 42 वर्ष, जातिगण मुसलमान, निवासीगण 348, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली, तहसील व जिला पाली हाल ठिकाना 12, अशरफों रज्जा कॉलोनी, नया गांव, पाली, तहसील व जिला पाली अपीलार्थिगण संख्या 7/1 लगायत 7/3 सभी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अपीलार्थी संख्या 7/4 सेनाद उर्फ शहनाज पत्नि सुबान खां, उम्र 40 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी 12, अशरफों रज्जा कॉलोनी, नया गांव, पाली, तहसील व जिला पाली।
8. सुलेमान खां वल्द हकीम खां, उम्र 61 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी 348, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली, तहसील व जिला पाली।
9. सिकंदर खां वल्द घीसु खां, उम्र 43 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी 29, मुख्य बाजार गली, चण्डावल स्टेशन, चण्डावल, तहसील सोजत, जिला पाली।
10. अकबर खां वल्द घीसु खां, उम्र 46 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी विद्यालय के पास चावण्डिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. नूर मोहम्मद वल्द इस्माईल खां, उम्र बालिग
2. शकुर मोहम्मद पुत्र इस्माईल खां, उम्र बालिग, जातिगण तेली मुसलमान, निवासीगण चावण्डिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
3. सायरी बानो पुत्री इस्माईल खां, पत्नि भूरे खां, उम्र बालिग, जाति तेली मुसलमान, निवासी राईका का बास, सांडिया, तहसील सोजत, जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. जुमली पुत्री इस्माईल खां, पत्नि शकूर खां, उम्र बालिग, जाति तेली मुसलमान, निवासी हापत, तहसील सोजत व जिला पाली।
5. मरियम बानू पुत्री इस्माईल खां, पत्नि हासम खां, उम्र बालिग, जाति तेली मुसलमान, निवासी जैतारण रोड़, निमाज, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
6. इकबाल वल्द रहीम बक्ष, उम्र बालिग
7. सलीम वल्द रहीम बक्ष, उम्र बालिग
8. मैना पत्नि रहीन बक्ष, उम्र बालिग, जातिगण तेली मुसलमान, निवासीगण चावण्डिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
9. रजिया बानू पुत्री रहीम बक्ष, पत्नि सिकंदर खां, उम्र बालिग, जाति तेली मुसलमान, निवासी चावण्डियाकलां, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
10. तहसीलदार जैतारण (भूमिधारी) तहसील जैतारण।

परफोर्मा रेस्पोंडेंटः–

11. जवरू खां वल्द दाउद खां, उम्र बालिग
12. मोहम्मद वल्द दाउद खां, उम्र बालिग
13. रहमान वल्द घीसु खां, उम्र बालिग, जातिगण मुसलमान, निवासीगण चावण्डिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
14. जगदीशचन्द्र पुत्र नारायणलाल, उम्र बालिग
15. महिपाल परिहार पुत्र केसाराम, उम्र बालिग, जातिगण सीरवी, निवासीगण नोख, तहसील रायपुर, वर्तमान जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2022 बअनवान नूर मोहम्मद वगैरह बनाम अकबर वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2023 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1968

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री भरत उपाध्याय, श्री कुलदीपसिंह राजपुरोहित, श्री श्रवण देवासी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री जगदीश सोलंकी, श्री सदाम काजी, श्री इमरान खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 14.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2022 बअनवान नूर मोहम्मद वगैरह बनाम अकबर वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि प्रतिवादी/अपीलार्थीगण को पेशी तारीख 08.02.2022 के लिए जारी सम्मन प्राथमिक डिक्री की अपील के पद संख्या 4 में वर्णित तामिल कुन्नीदा की रिपोर्ट के साथ अदम तामिल लौटे। जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 9 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थीगण की तलबी हेतु नये पतों सहित सम्मन प्रस्तुत नहीं कर पुनः ग्राम चावण्डिया के पते के सम्मन प्रस्तुत किये गये जो योग्य अधिन न्यायालय द्वारा विधि एवं नियम विरूद्ध जारी किये गये। तत्पश्चात् रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगायत 9 ने तहसील जैतारण के तामिल कुन्नीदा मुकेशकुमार पुत्र पीथारामजी के साथ मिलीभीगत, मिलावट, साजिश एवं षडयंत्र कर अपीलार्थीगण बाबू खां, शफी मोहम्मद, सतार खां, सदीक खां, ईरफान, खुशी, सुलेमान खां, सिकन्दर व अकबर को पेशी तारीख 19.05.2022 के लिए जारी सम्मनों पर उनके फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर करवाकर तथा अपीलार्थीगण मुन्नी, मैना, जावेद, सेनाद को पेशी तारीख 19.05.2022 के लिए जारी सम्मनों पर उनके फर्जी एवं कूटरचित अंगुष्ठ निशान कर अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक तामिल होना दर्शाते हुए उक्त सम्मन पुनः योग्य अधिन न्यायालय को प्रेषित कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध उक्त फर्जी तामिल के आधार पर पेशी तारीख 19.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करवाये गये। इस प्रकार प्रकट है कि अपीलार्थीगण पर विधि व नियमानुसार तामिल नहीं करवाई गई, फिर भी अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.02.2023 की पालनार्थ तहरीर क्रमांक/कोर्ट/2023/99 दिनांक 17.04.2023 रेस्पोंडेण्ट तहसीलदार जैतारण को मय प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 23.02.2023 सहित प्रेषित की गयी। प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित एवं रोशन है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाडा बाबत् प्रस्तावित रिपोर्ट मय नजरी नक्शा वगैराह बनाकर भेजने हेतु रेस्पोंडेण्ट भूमिधारी तहसीलदार जैतारण को आदेशित किया गया तथा माननीय राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा बाबत् रिपोर्ट भेजने हेतु भूमिधारी तहसीलदार ही सक्षम है। परन्तु योग्य अधिन न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.02.2023, आदेशिका दिनांक 28.03.2023 एवं आदेशिका 09.05.2023 व पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द (विभाजन प्रस्ताव) व नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 09.05.2023 के अवलोकन से प्रकट है कि रेस्पोंडेण्ट तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 09.05.2023 को मौका पर जाकर मौका फर्द (विभाजन प्रस्ताव) व नजरी नक्शा नहीं बनाया बल्कि उक्त बंटवाडा बाबत् प्रस्तावित मौका फर्द मय नजरी नक्शा पटवारी हल्का चावण्डिया व आर. आई. आगेवा ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगायत 9 के साथ मिलीभगत एवं मिलावट कर मौके पर गये बिना ही तथा मौके पर भौतिक कब्जा काश्त की स्थिति देखे बिना ही पटवार घर में ही बैठकर तैयार कर उसी दिन प्रशासन गांवों के संग अभियान व मंहगाई राहत कैम्प 2023 ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत मुख्यालय चावण्डिया में तहसीलदार जैतारण के हस्ताक्षर करवाकर तहसीलदार जैतारण के जरिये उक्त कैम्प में योग्य अधिन न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसके आधार पर योग्य अधिन न्यायालय ने जैर अपील निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई। प्रकरण में इसके अलावा जैर अपील निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अनुसार भी वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किये जाने बाबत निर्णय पारित किया गया, फिर भी अपीलार्थीगण को कोई नोटिस दिये बिना तथा नियम 18 से 21 की अनुपालना किये बिना अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगायत 9 ने रेस्पोंडेण्ट तहसीलदार व हल्का पटवारी से मिलीभगत एवं मिलावट कर प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बाले–बाले रखा तैयार करवा कर योग्य अधिन न्यायालय से एकतरफा निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पारित करवा दी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट वादीगण द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2023 द्वारा निर्णित व अंतिम डिक्री किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से विलंब कारित होना स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का मुताबिक राजस्व रेकर्ड हक, हिस्सा मौके पर पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन के लिए नियम 18 से 21 की पालना करते हुए संबंधित तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व न तो प्रतिवादीगण सहखातेदान को सूचित किया गया एवं न ही समस्त सहखातेदारान का हिस्सा विभाजन हेतु प्रस्तावित किया गया। डिक्री से विभाजन के प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम – 1955 के नियम 20 व 21 में विहित विधिक प्रावधानानुसार तैयार किया जाना संबंधित तहसीलदार के लिए आज्ञापक होता है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक व समय निर्धारित करते हुए संबंधित सहखातेदारान को मौके पर उपस्थिति हेतु सूचित किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार द्वारा नियम – 20 की पालना में न तो प्रत्येक सहआसामी के लिए पृथक से विभाजन प्रस्तावित किया गया एवं न ही सहआसामियों के कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा नियम – 21 की पालना में न तो विभाजन के लिए प्रस्तावित एवं उपविभाजित खेतों के लिए मौके पर सीमांकन किया गया एवं न ही नक्शे तैयार किये गये। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालना न करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर संज्ञान लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। जो दुषित होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2022 बअनवान नूर मोहम्मद वगैरह बनाम अकबर वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2023 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 15.12.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **14.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner